संख्या-26/2023/917/58-2023/1701627

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 19 अप्रैल, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार से द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0-1260.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत पर ड्रॉप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजना में केन्द्रांश रू0-1260.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-09/बजट/2023-24, दिनांक 05.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार से द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0-1260.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत पर ड्रॉप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजना में केन्द्रांश रू0-1260.00 लाख को अवमुक्त
किये जाने को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. चूंकि वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। निदेशक, उद्यान वित्तीय स्वीकृति निग्रत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इसका उल्लंघन नहीं हो रहा है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की गाईड लाईन/ भारत सरकार के दिशा निर्देशों एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
3. योजना से आच्छादित पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है।
4. योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता की जांच योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
5. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

h.up.gov.in

6. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।

7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

9. निदेशक, उद्यान विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें।

10. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

11. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 12,00,00,000 (रुपये बारह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2401007890109 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना (के.60/रा.40-के.) **मानक मद** 27 सब्सिडी (*2*) रुपये 60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2401007890109 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना (के.60/रा.40-के.) **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-1-16-दस-2023-2024, दिनांक-19 अप्रैल, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-26/2023/58-2023 /1701627, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-F.N0.18-24/2020RFS-III दिनांक 29.03.2023 के संदर्भ में।

(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) महालेखाकार, (लेखा परीक्षक)/प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कररण, निदेशालय उद्यान, लखनऊ।
(5) निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश-द्वारा निदेशक।
(7) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश-द्वारा निदेशक।
(8) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश-द्वारा निदेशक।
(9) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश-द्वारा निदेशक।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(12) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up